फर्द अहकाम

...य सहायक कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)

संतोष बनाम बादाम

... संख्या/वर्ष 70/2023 : ____/20____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/1/25	पत्रावली पेश हुयी। वादी अधिवक्ता हाजिर है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना-पत्र वाद विड्रो किए जाने बाबत् पेश हुयी है। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि वादिया, वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। वादिया स्वयं न्यायालय में हाजिर है, जिसकी पहचान वादी अधिवक्ता ने की। आदेश 23 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी अपने वाद का प्रत्याहरण कर	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Ve...
Digitally signed by Sa...
Date: 2025.05.14 14...
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (जयपुर प्रथम)

संतोष बनाम बदाम

मुकदमा संख्या/वर्ष 70/2023 : ______/20__

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
	07/01/25	सकता है। अतः आदेश 23, नियम -1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वादिया द्वारा पेश प्रा०पत्र बाबत वाद विड्रो जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। वादिया का विड्रा प्रा०पत्र स्वीकार होने पर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि ₹ 5000/- जमा करवाने के पश्चात् वादिया इन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं समान अनुतोष पर पुनः वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 7.1.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature N
Digitally signed
Date: 2025.05.
Reason: SelfAt